फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गणेशलाल पिता स्व. श्री भेराजी डांगी ग्रा.पं. कालीवास (लिलेरा) तह. देलवाड़ा जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देलवाड़ा जिला राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 26/2023**

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>कार्यवाही विवरण</th><th>हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई</th></tr>
<tr><td></td><td>
दिनांक 15.05.2023

पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/RTI/2023/250 दिनांक 12.05.2023 अनुसार अपीलार्थी श्री गणेशलाल द्वारा भूमि की रजिस्ट्री के संबंध में चाही गई सूचना आ. नं. 182, 183, 184, 185, व 369/176 की भूमि किस राजस्व ग्राम से संबंधित है इसका अंकन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया जाने से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देलवाड़ा द्वारा पत्रांक क्रमांक राजस्व/2023/201 दिनांक 12.04.2023 से अपीलार्थी श्री गणेशलाल डांगी नि. लिलेरा से आ.नं. 182, 183, 184, 185, व 369/176 की भूमि किस राजस्व ग्राम से संबंधित है, सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देलवाड़ा द्वारा सूचना तैयार नहीं की गई है ।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा आ.नं. 182, 183, 184, 185, व 369/176 से संबंधित चाही गई सूचना की भूमि किस राजस्व ग्राम की है, का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने व अपीलार्थी को उक्त बाबत पत्र तामील कराने के बावजूद वांछित सूचना के संबंध में राजस्व ग्राम को नही बताने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद
</td><td></td></tr>
</table>

न्यायालय जिला कलक्टर